भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3039
13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना की स्वास्थ्य कवरेज

3039. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में आयुष्मान भारत योजना की वर्तमान कवरेज और उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार की ओपीडी कवरेज सहित इस योजना का विस्तार करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दिनांक 23.09.2018 को प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में आने वाले लगभग 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। एबी-पीएमजेएवाई वर्तमान में पश्चिम बंगाल, एनसीटी दिल्ली और ओडिशा को छोड़कर देश भर के 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू है।

शुरुआत में, एबी-पीएमजेएवाई के तहत 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों को 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर लक्षित किया गया था, जिसमें परिवारों की पहचान करने के लिए क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चुनिंदा वंचन और व्यावसायिक मानदंडों का उपयोग किया गया था। इसके अलावा, जनवरी 2022 में, 11.7% की दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, भारत सरकार ने

लाभार्थी आधार को संशोधित कर 12 करोड़ परिवार कर दिया और ऐसे एसईसीसी लाभार्थियों के अलावा लाभार्थियों, जिनकी पहचान और सत्यापन नहीं किया जा सका, के सत्यापन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य डेटाबेस का उपयोग करने की छूट दी गई है।

मार्च, 2024 में आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के 37 लाख परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया था। इसके अलावा, दिनांक 29.10.2024 को भारत सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना परिवार के आधार पर प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का निःशुल्क उपचार लाभ प्रदान करने के लिए योजना का विस्तार किया। इसके अतिरिक्त, इस योजना को लागू करने वाले कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने खर्च पर लाभार्थी आधार का विस्तार भी किया है।

योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ग) और (घ): वर्तमान में, एबी-पीएमजेएवाई माध्यमिक और विशिष्ट परिचर्या के तहत कुल 1961 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए केवल अंतरंग (आईपीडी) उपचार प्रदान करता है, जिसमें कई डे-केयर चिकित्सा प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्व में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र के नाम से ज्ञात) अपने क्षेत्रों में पूरी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं जिनमें ओपीडी परामर्श भी शामिल हैं।

अनुलग्नक

योजना के तहत प्राधिकृत अस्पतालों में भर्ती की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**अस्पताल में भर्ती होने की** प्राधिकृत **संख्या**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,198
आंध्र प्रदेश	72,76,194
अरुणाचल प्रदेश	4,602
असम	13,17,537
बिहार	14,28,404
चंडीगढ़	58,405
छत्तीसगढ़	66,64,150
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,37,575
गोवा	10,221
गुजरात	60,54,212
हरियाणा	18,50,000
हिमाचल प्रदेश	3,06,464
जम्मू और कश्मीर	14,50,572
झारखंड	22,28,199
कर्नाटक	1,00,02,556
केरल	66,14,465
लद्दाख	18,963
लक्षद्वीप	1,245
मध्य प्रदेश	48,66,226
महाराष्ट्र	23,64,107
मणिपुर	1,92,932
मेघालय	9,04,992
मिजोरम	1,44,835
नगालैंड	86,691
पुदुचेरी	1,04,644
पंजाब	23,43,754
राजस्थान	60,95,165
सिक्किम	24,131
तमिलनाडु	1,07,53,037
तेलंगाना	18,83,804
त्रिपुरा	3,80,720
उत्तर प्रदेश	50,97,051
उत्तराखंड	13,04,312

टिप्पणी: 31.10.2024 **तक का डेटा।**

*****